

08.11.2024:—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया पत्रावली आज ही पेशी में ली जाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जावे। उभयपक्ष बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में साक्ष्य सबूतों अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजीनामा अनुसार निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

0/2

